



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 6 नवम्बर, 2025

कार्तिक 15, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 2142/81-2-2025-29(42)-2025

लखनऊ, 6 नवम्बर, 2025

अधिसूचना

प0आ0-183

चूँकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और चूँकि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण किया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने से किसी भी व्यक्ति को अधिकारों से वंचित नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील एवं परगना	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6
आगरा	फतेहाबाद	मड़ायना	42 मि0	10.500	उत्तर- खसरा संख्या- 42 मि0 (रास्ता) दक्षिण- खसरा संख्या-42 मि0 का शेष भाग पूरब- खसरा संख्या-42 मि0 (वृक्षारोपण क्षेत्र) एवं खसरा संख्या- 42 मि0 का शेष भाग पश्चिम- खसरा संख्या-42 मि0 (रास्ता) एवं खसरा संख्या-42 मि0 का शेष भाग

1	2	3	4	5	6
आगरा	किरावली	उत्तू	01	14.517	उत्तर— ग्राम सीमा कलियानपुर (राजस्थान) एवं खसरा नम्बर—2, 38, 39 दक्षिण— खसरा संख्या—2, 3 (रास्ता) 40, 39, 36 एवं खसरा संख्या—01 का शेष भाग पूरब—खसरा संख्या— 42, 40, 39, 38, 36, 44 (रास्ता) पश्चिम—खसरा संख्या— 2, 3 (रास्ता)
आगरा	खेरागढ़	सरैधी	1918 मि०	4.996	उत्तर— खसरा संख्या—1822, 1821, 1820, 1818, 1824 (रास्ता) दक्षिण— खसरा संख्या—1895, 1897, 1895, 1824 (रास्ता) पूरब— खसरा संख्या—1818, 1895, 1898, 1824 (रास्ता) पश्चिम— खसरा संख्या—1918 मि० का शेष भाग और खसरा संख्या—1818, 1822, 1820, 1821, 1898
			कुल	30.013	

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2142/LXXXI-2-2025-29(42)-2025, dated November 6, 2025.

No. 2142/LXXXI-2-2025-29(42)-2025

Dated Lucknow, November 6, 2025

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND WHEREAS it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act, that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be 'protected forest' from the date of publication of this notification in the *Gazette* and it is also notified that all right and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Tehsil and Pargana	Name of Village	Khasra no.	Area (in Hectare)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6
Agra	Fatehabad	Madaiyna	42Mi	10.500	North-Khasra no. 42 Mi (Rasta) South -Remaining part of Khasra No. 42 Mi East-Khasra no. 42 Mi (Plantation area) and remaining part of Khasra No. 42 Mi West-Khasra no. 42 Mi (Rasta) and Remaining part of Khasra No. 42 Mi
Agra	Kirawali	Uttoo	01	14.517	North -Gram Seema Kaliyanpur (Rajasthan) and Khasra no. 2, 38, 39 South-Khasra no. 2, 3 (Road), 40, 39, 36 and Remaining part of Khasra No. 01 East-Khasra no. 42, 40, 39, 38, 36, 44 (Rasta) West-Khasra no. 2, 3 (Rasta)

1	2	3	4	5	6
Agra	Khairagarh	Sarendhi	1918 Mi	4.996	North-Khasra no. 1822, 1821, 1820, 1818, 1824 (Rasta) South-Khasra no. 1895, 1897, 1895 1824 (Rasta) East-Khasra No. 1818, 1895, 1898, 1824 (Rasta) West-Remaining part of Khasra no. 1918 Mi and Khasra No. 1818, 1822, 1820, 1821, 1898
Total				30.013	

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.